धारा 79 : कर की वसूली

(1) जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्ही उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय किसी रकम को संदत्त नहीं किया जाता है, वहां समुचित अधिकारी निम्नलिखित एक या अधिक ढंगों से रकम को वसूल करने के लिए अग्रसर होगा, अर्थात् :

(क) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को संदेय किसी ऐसी रकम से इस प्रकार देय रकम की कटौती करेगा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से रकम की कटौती करने की अपेक्षा करेगा, जो रकम समुचित अधिकारी या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणधीन है;

(ख) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार देय रकम की ऐसे व्यक्ति से संबंध रखने वाली ऐसी वस्तुओं को निरूद्ध करके और विक्रय करके, जो समुचित अधिकारी या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन है, वसूली करेगा;

(ग) (i) समुचित अधिकारी लिखित सूचना द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से, जिससे धन शोध्य है या ऐसे व्यक्ति को शोध्य हो सकेगा, जो ऐसे व्यक्ति के लेखे धन धारण करता है या पश्चात्वर्ती रूप से धन धारण कर सकेगा, सरकार को धन शोध्य होने पर या उसके धारण किए जाने पर तुरंत या सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, जो धन के शोध्य या धारण किए जान से पूर्व का नहीं होगा, उतने धन का, जो ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का संदाय करने के लिए पर्याप्त हो या संपूर्ण धन को जब वह उस रकम के समतुल्य या कम हो, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ii) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी की जाती है, ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और विशिष्टिया जहां ऐसी सूचना किसी डाकघर, बैंककारी कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है वहां किसी पासबुक, जमा रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज को किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या समान दस्तावेज को तत्प्रतिकूल किसी नियम, पद्धति या अपेक्षा के होते हुए भी संदाय किए जाने से पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा;

(iii) कोई व्यक्ति, जिसे उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी की गई है, उसके अनुसरण में सरकार को संदाय करने में असफल रहने की दशा में सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और उसे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए सभी नियमों के परिणाम भुगतने होंगे;

(iv) उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी करने वाला अधिकारी किसी भी समय ऐसी सूचना का संशोधन कर सकेगा या प्रतिसंहरण कर सकेगा या सूचना के अनुसरण मे संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा;

(v) उपखंड (i) के अधीन जारी सूचना की अनुपालना में संदाय करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन संदाय किया है और ऐसे संदाय को सरकार के पास जमा किए जाने पर ऐसे व्यक्ति की, व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति दायित्व का, रसीद में विनिर्दिष्ट रकम की सीमा तक उत्तम और पर्याप्त निर्वहन समझा जाएगा;

(vi) व्यतिक्रमी व्यक्ति के किसी दायित्व का उपखंड (i) के अधीन जारी सूचना की तामील के पश्चात् निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति, निर्वहन किए गए दायित्व की सीमा तक या कर, ब्याज और शास्ति, के लिए व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व, इनमें से जो भी कम हो, की सीमा तक सरकार के प्रति दायी होगा;

(vii) जहां कोई व्यक्ति, जिस पर उपखंड (i) के अधीन सूचना की तामील की गई है, सूचना जारी करने वाले व्यक्ति के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि मांग किया गया धन या उसका कोई भाग व्यतिक्रमी व्यक्ति से शोध्य नहीं था या यह कि वह व्यतिक्रमी व्यक्ति के लिए या उसके मद्दे उस पर सूचना की तामील किए जाने के समय किसी धन को धारण नहीं कर रहा था और न ही मांग किया गया धन या उसके किसी भाग के उस व्यक्ति से शोध्य होने या उसके लिए ऐसे व्यक्ति के लिए या उसके मद्दे धारण किए जाने की संभावना है, वहां इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात उस व्यक्ति से जिस पर ऐसे किसी धन या उसके भाग की सरकार को संदाय करने के लिए सूचना की तामील की गई है, संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(घ) समुचित अधिकारी, इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति की या उसके नियंत्रणाधीन किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का करस्थम् और उसे तब तक निरूद्ध कर सकेगा जब तक कि संदेय रकम को संदत्त नहीं कर दिया जाता है और उक्त संदेय रकम का कोई भाग या करस्थम् की लागत या संपत्ति को रखने की लागत, ऐसे करस्थम् के पश्चात् अगले तीस दिन की कालावधि के पश्चात् असंदत्त रहती है तो वह उक्त संपत्ति का विक्रय करवा सकेगा तथा ऐसे विक्रय के आगमों से संदेय रकम को चुकाया जाएगा तथा रकम, जिसके अंतर्गत शेष असंदत्त विक्रय की लागत भी है और आधिक्य रकम, यदि कोई हो, को ऐसे व्यक्ति को दे दी जाएगी;

(ङ.) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र तैयार करेगा और इसे उस जिले के कलेक्टर या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भेजेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति की संपत्ति है या वह निवास करता है या अपना कारबार करता है और उक्त कलेक्टर या उक्त अधिकारी, ऐसे प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्ति से उस प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो वह भू–राजस्व की बकाया थी;

(च) *दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी, समुचित मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन फाइल कर सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए ऐसे कार्यवाही करेगा मानो यह उसके द्वारा अधिरोपित जुर्माना था।

(2) जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तद्धीन बनाए गए विनियमों के अधीन निष्पादित किसी बंधपत्र या लिखित के निबंधन यह उपबंध करते हैं कि ऐसी लिखत के अधीन शोध्य किसी रकम को उपधारा (1) के अधिकथित रीति में वसूल किया जाएगा वहां वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रकम की उस धारा

---

* देखें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का क्रमांक 46) (प्रभावशील दिनांक 01.07.2024)।

के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी।

(3) जहां कर, ब्याज या शास्ति की कोई रकम इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय है और जो असंदत्त रहती है वहां राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का समुचित अधिकारी उक्त कर बकाया की वसूली के अनुक्रम में उक्त व्यक्ति से रकम की वसूली इस प्रकार करेगा मानो वह राज्य कर, [1][संघ राज्यक्षेत्र कर] की बकाया थी और इस प्रकार वसूल की गई रकम को सरकार के खाते में जमा करेगा।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन वसूल की गई रकम केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को शोध्य रकम से कम है वहां संबंधित सरकारों के खाते में रकम को, प्रत्येक ऐसी सरकार को शोध्य रकम के अनुपात में जमा किया जाएगा।

[2][**स्पष्टीकरण**–इस धारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति शब्द में, यथास्थिति, धारा 25 की उपधारा (4) या उपधारा (5) में यथानिर्दिष्ट ''विशिष्ट व्यक्ति'' सम्मिलित होंगे।]

उपयुक्त नियमः नियम 143, 144, 144क, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी डीआरसी–09, जीएसटी डीआरसी–10, जीएसटी डीआरसी–11, जीएसटी डीआरसी–12, जीएसटी डीआरसी–13, जीएसटी डीआरसी–14, जीएसटी डीआरसी–15, जीएसटी डीआरसी–16, जीएसटी डीआरसी–17, जीएसटी डीआरसी–18, जीएसटी डीआरसी–19, जीएसटी डीआरसी–24

---

1 यहां पर ये शब्द अंग्रेजी संस्करण को देखते हुये दिये गये हैं।

2 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 31) द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।